[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

एक वर्ष से यह रज्जूपद्ध बन्द पड़ा हुआ है जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार सरकार को निर्देश दे कर शीघ्र से शीघ्र इस रज्जूपथ को चालू कराये जिससे पर्यटकों को होने वाली असुविधा दूर हो सके। बेहतर तो यह होगा कि केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने हाथ में इसके प्रबन्ध को ले कर चलाये।

(ii) NEED FOR ISSUING LICENCES TO FARMERS FOR CULTIVATION OF POPPY.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफीम और अल्कालाइड का बहुत पुराना कारखाना है। वहां अफीम का कारखाना इसलिए स्थापित किया गया था कि उस जिले में अच्छे किस्म के पोस्त की खेती होती थी, जिससे कि अफीम निकाली जाती है। पोस्ते की खेती के लिए किसानों को नार्कोटिंग विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, पहले पुरे जिले में यह लाइसेंस दिया जाता था और किसान इसे कैश क्राप के रूप में इसकी खेती करते थे।

इधर कुछ वर्षों से गाजीपुर के किसानों को पोस्ते की खेती के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता। नार्कोटिंग विभाग का कार्यालय गाजीपुर से लखनऊ हस्तांतरित कर दिया गया। इससे इस विभाग का तो खर्चा बहुत काफी बढ़ गया है। यदि लाभ हुआ तो केवल यह कि उस विभाग के बड़े अधिकारी गाजीपुर के छोटे शहर से उठकर लखनऊ जैसे बड़े शहर में चले गये हैं। गाजीपुर अफीम कारखाने का लाभ गाजीपुर के किसानों को जो मिला करता था उससे वह वंचित हो गये हैं। अन्य स्थानों पर पोस्ते की जो खेती होती है, उससे घटिया किस्म की अफीम पैदा होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर तत्काल ध्यान दे और ऐसी व्यवस्था करे कि गाजीपुर के किसानों को जिले के सभी क्षेत्रों में आसानी से पोस्ते की खेती का लाइसेंस दिया जा सके जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो तथा नारकोटिंग कार्यालय को पुनः गाजीपुर ले जाया जाये।

(iii) CRITERIA FOR GRANT OF CENTRAL ASSISTANCE FOR ACCELERATED WATER SUPPLY PROGRAMME IN RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान के रेगिस्तानी बाड़मेर जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के पैंतीस वर्ष की आजादी के बाद भी चालीस, तीस एवं पचास प्रतिशत क्रमशः समस्याप्रद ग्रामों की समस्या ही हल हो चुकी है और उन गांवों में भी ग्राम निवासी 10 वर्ग किलोमीटर से 150 वर्ग किलोमीटर में ढ़ाणियों के समूह में रहने के कारण उन्हें पीने के पानी की प्राप्ति के लिए तीन किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है।

केन्द्रीय सरकार ने किसी भी ग्राम निवासी को 1.6 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर पानी प्राप्ति के लिए जाना पड़े तो उक्त ग्राम को समस्याप्रद माना है और यह निर्णय कर रखा है कि उक्त समस्याप्रद ग्रामों में एक मुख्य स्थान पर ही पानी पहुंचाया जाए परन्तु यह रोक रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां कि ग्रामवासी को एक ग्राम में पानी की प्राप्ति के लिए एक किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है पर लागू होने से उन्हें पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पाती।

रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। प्रति व्यक्ति 10 गैलन का प्रावधान किया जाता है परन्तु पशु जो कि गणना में मनुष्य से दुगने से भी अधिक होते हैं और जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में उनकी आर्थिक स्थिति के आधार हैं, के पीने के पानी

का प्रावधान नहीं होने से उक्त योजनाएं सफलता पूर्वक नहीं चल पातीं । अतः प्रति व्यक्ति 10 गैलन के स्थान पर 20 गैलन का प्रावधान किया जाए ।

अतः केन्द्रीय सरकार के आवास एवं निर्माण मंत्री से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि रेगिस्तानी क्षेत्र के समस्याप्रद ग्रामों में 1.6 किलोमीटर के स्थान पर दो किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम में एक से अधिक स्थानों पर क्षेत्रफल और जन संख्या के आधार पर पानी पहुंचाएं और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में पशुओं के पीने के पानी का प्रावधान रखें या प्रति व्यक्ति 10 गैलन के स्थान पर 20 गैलन का प्रावधान किया जाए । छटी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान प्रांत के सभी समस्याप्रद ग्रामों को विशेषतः रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी पहुंचाने से ग्रामीणों की आवश्यक मांग की पूर्ति हो सकेगी ।

(iv) NEED FOR STOPPING WORK ON PROPOSED CANAL AT VEDARANYAM IN TAMIL NADU TO SAVE SMALL PRODUCTS WORKERS IN SALT INDUSTRY.

*SHRI THAZHAI M. KARUNANITHI (Nagapattinam): Sir, in Dandi, Mahatma Gandhi conducted Salt Satyagraha, and at the same time, in Vedaranyam in Tamil Nadu, Rajaji led the Salt Satyagraha and laid the foundation-stone for India's freedom. According to Gandhi-Irwin Agreement in 1931, out of the total production of salt in Vedaranyam, 80 per cent is accounted for by the small scale producers. 10,000 workers have got permanent jobs and 25,000 male and female workers are having part-time employment, here.

Now, there is a danger for the livelihood of these small producers and workers in salt industry by the proposal to have 100 ft. wide canal here. Due to this canal, 1700 acre wide salt pans would be affected adversely. Vedaranyam is a dry area depending upon rain. The basic industry is salt and tobacco. As tobacco could not get a remunerative price from 1977, the production of tobacco has come to a grinding halt. The people are solely dependent on salt industry. While this 100 ft. canal is going to benefit 87 licensees producing salt in 264 acres, thousands of workers producing salt on 1700 acres would be adversely affected. The Central Salt Board should immediately intervene and stop the work worthwith and the Industry Ministry should issue such a directive to the Central Salt Board as to save the historically important Vedaranyam.

(v) NEED TO ENSURE FREE AND UNFETTERED 'PADYATRA' BY FOLLOWERS OF VARIOUS RELIGIONS.

श्री सत्यनारायण जटिया : (उज्जैन) : हमारा देश सांस्कृतिक परम्पराओं का महान देश है, जहां निर्भय होकर अपने-अपने धर्मों का, सिद्धांत का प्रतिपादन करने, प्रचार और प्रसार करने की पूरी-पूरी स्वतंत्रता है । यही "मुक्तता" हमारी पहचान भी है ।

किन्तु हाल की ही राजस्थान में "जैन साध्वियों" के एक स्थान से दूसरे स्थान पर "बिहार पदयात्रा" करते समय उन पर अचानक दुर्भावना पूर्वक आक्रमण करने की घटना से देश के करोड़ों जैन धर्मावलम्बियों तथा आतंक रहित वातावरण में पदयात्रा और विचरण करने वाले व्यक्तियों के मनों में भय और दुख व्याप्त है ।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि ऐसी धार्मिक सांस्कृतिक, सौद्धेश्य पदयात्रा करने वाले व्यक्तियों को समूचे देश में अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार विचरण करने की स्वतंत्रता आतंक मुक्त वातावरण में की जा सके, का पर्याप्त प्रबन्ध किया जावे ।

*The original speech was delivered in Tamil.